Statement

Names and Designation of the representatives of the Central Government and State Governments attended the meetings of the Council for the Indian School Certificate Examinations held in 1990-91, 1991-92 *and* 1992 93.

1990-91

1. Sh. S. Gopal, Secretary, Central Board of Secondary Education (CBSE).

2. Dr. G. L. Arora, Reader, National Council of Educational Research & Training (NCERT).

3. Sh. S. C. Gupta, Controller of Examinations, CBSE.

4. Dr. H. S. Srivastava, NCERT

5. Shri D. Ghosh, Director, School Education, West Bengal.

6. Shri M. D. Saxena, Associate Inspector of Anglo Indian School, Uttar Pradesh.

7. Dr. A. K. Das, Joint Director, School Education, West Bengal.

8. Shri J. R. Verma, Inspector, Anglo Indian Schools, Uttar Pradesh.

1991-92

1. Smt. S. Salvai, Deputy Director, School Education, Delhi Admn.

2. Dr. Atma Ram, Director of Education, Himachal Pradesh.

3. Dr. A. K. Das, Joint Director of School Education, West Bengal.

4. Shri R. R. Pardeshi, Deputy Director, Education, Bombay.

1992-93

1. Dr. K. J. S. Chatrath, Secretary, NCERT.

2. Shri S. Gopal, Secretary, CBSE.

3. Dr. A. K. Sharma, Joint Director, NCERT.

4. Dr. D. Ghosh, Director of School Education, West Bengal.

5. DR. A. K. Das, Joint Director of School Education, West Bengal.

दिल्ली में अवैध निर्माण

1791 **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में खाली पड़ी भूमि पर वैध और अवैध निर्माण अत्यन्त तेजी से हो रहा है और इसमें से अधिकांश निर्माण उस भूमि पर हो रहा है जो सांस्कृतिक संपदा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है ;

(ख) क्या सरकार सांस्कृतिक संपदा की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे सारे क्षेत्र का अधिग्रहण करने और अधिभोक्ताओं को वैकल्पिक स्थान देकर ऐसी अधिगृहीत भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या सरकार पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्खनन कार्य शीघ्र आरंभ करने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। जैसे ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भूमि पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण "प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958" तथा "प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959" के अनुसार इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए स्थानीय पुलिस में तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों को शिकायतें दर्ज कराता है।

(ग) जी, नहीं। सरकार केवल विशिष्ट ऐतिहासिक अथवा पुरातत्वीय समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी स्थल पर उत्खनन-कार्य करती है।